



भारत में सतत विकास

Vimal Kumar

S/o Subedar Singh

Research Scholar, Department of Geography, R.B.S. College, Agra, Reg. No. 026/2020

E-mail: vimalkumar151990@gmail.com

Prof. Dr. Omhari Arya

Department of Geography, R.B.S. College, Agra, Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra

Paper Received On: 21 June 2024

Peer Reviewed On: 25 July 2024

Published On: 01 August 2024

Abstract

सतत विकास वह विकास की प्रक्रिया है जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिये पर्यावरण से कोई समझौता किये बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। भारत विश्व की **17.5%** जनसंख्या व **2.4%** भूमि रखता है। प्राकृतिक संसाधनों के अस्थिर उपयोग के कारण में भारत वर्तमान में खतरानक स्तर तेजी से और व्यापक पर्यावरणीय गिरावट का सामना कर रहा है। अत्यधिक जनसंख्या व न्यून प्राकृतिक संसाधनों पर जबरदस्त दबाव है। इस पेपर में हम सतत विकास के लिये भारत द्वारा उठाये गये कदम और रणनीतियों की चर्चा करेंगे जो हमारी वर्तमान पीढ़ी के साथ-साथ आने वाली पीढ़ी को अस्तित्व के लिये आवश्यक है।

परिचय (Introduction) :-

पिछले कुछ दशकों के दौरान यह स्पष्ट हो गया है कि हम अब पर्यावरण के बिना सामाजिक आर्थिक विकास के बारे में नहीं सोच सकते हैं राष्ट्रों के बीच बढ़ती परस्पर निर्भरता के साथ हमारे सामने आने वाले मुद्दों को प्रकृति की आवश्यकता होती है तथा सभी देश सतत विकास के कार्यक्रम को जारी करने के लिये एक साथ आते हैं जून 1992 में रियोडिर जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर आयोजित एक संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन एक मील का पत्थर था जो प्रभावी रूप से पर्यावरण के प्रति वैश्विक समुदाय का ध्यान केन्द्रित करता था। इस शिखर सम्मेलन में दुनियां भर से सरकारों, अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के प्रतिनिधियों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को टिकाऊ विकास के दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये विश्व समुदाय में अपनाए गए एजेंडा 21, सामाजिक आर्थिक विकास, पर्यावरणीय सहयोग पर उच्चतम स्तर पर वैश्विक सर्व सहमति और राजनीतिक प्रतिवद्धता को इग्नित किया गया है। इस

बदलाव के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय सरकारों पर रखी गई थी, प्रत्येक सरकार से उस देश की विशेष स्थिति, क्षमता और प्राथमिकताओं के अनुरूप सतत विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीतियों, योजनाओं और नीतियों को बनाने व लागू करने की उम्मीद थी, यह अन्तराष्ट्रीय संगठनों, व्यापार, क्षेत्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समूहों के साथ साझेदारी में किया जाना था, ऐंडोंडा ने वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने और टिकाऊ विकास में तेजी लाने के लिए विकास की बढ़ती लागत का समर्थन करने के लिये विकासशील देशों के लिए नई सहायता की आवश्यकता को भी पहचाना चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्तराष्ट्रीय संगठनों द्वारा स्थायी विकास के लिए नई नीतियों और रणनीतियों और मौजूदा नीतियों और योजनाओं को अनुकूलित करके पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को एकीकृत करने के लिए सरकारों और अन्तराष्ट्रीय संगठनों द्वारा व्यापक प्रयास किए गए हैं। एक राष्ट्र के रूप में अपने लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है और सतत विकास की दिशा में अन्तराष्ट्रीय संगठन के साथ सक्रिय रूप में शामिल है, शिखर सम्मेलन ने भारत को अपने विकासशील सिद्धान्तों के लिए खुद को एक अवसर प्रदान किया जो देश को लम्बे समय तक निर्देशित किया है। सिद्धान्त देश की नियोजन प्रक्रिया में लागू है और इसीलिए सतत विकास के लिए एक अलग राष्ट्रीय रणनीति की आवश्यकता महसूस नहीं हुई थी।

वैसे तो टिकाऊ विकास शब्द की कई अलग-अलग उत्पत्ति और परिभाषाएं हैं लेकिन 1987 में विश्व आयोग ने 1987 के ब्रूडलैंड रिपोर्ट जो पर्यावरण और विकास पर आधारित थी उसने अब तक के सबसे अच्छी और व्यापक रूप से मान्यता परिभाषाओं में से एक है जो टिकाऊ विकास, विकास की वह प्रक्रिया है जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिये भावी पीढ़ियों की क्षमता से समझौता किये बिना अपनी जरूरतें पूरी करना है। विकास की मुख्य चुनौतियों हैं जो चरित्र में वैश्विक हैं इनमें, गरीबी और बहिष्करण, बेरोजगारी, जलवायु परिवर्तन, संघर्ष और मानवीय सहायता, शांतिपूर्ण व समावेशी समाजों का निर्माण शासन के मजबूत संस्थानों का निर्माण कानून के शासन का समर्थन करना शामिल है।

सतत विकास: भारतीय सन्दर्भ में :-

भारत के संविधान में, मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार को पूरा करने के अधिकार, आजीविका के अधिकार गरिमा के साथ रहने के अधिकार और कई सम्बन्धित अधिकारों के साथ रहने का अधिकार प्रदान करता है इसी के साथ ही राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों को भी संविधान विवेक के रूप में जाना जाता तथा ये भारत में राजनीतिक लोकतंत्र के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के पक्ष में भी है साथ ही ये वितरक न्याय के सिद्धान्त पर आधारित हैं। अनुच्छेद 51(क) मौलिक कर्तव्य भी व्यक्तियों को पर्यावरण की रक्षा व संरक्षण करने की अपेक्षा की गई है।

राष्ट्रीय पर्यावरण नीति:-

इसके अनुसार केवल ऐसा विकास टिकाऊ है जो परिस्थितिकीय वाधाओं और सामाजिक न्याय की अनिवार्यता का सम्मान करता है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–1990) :-

यदि उत्पादकता में लाभ बनाए रखना है तो संसाधनों के साथ भी उपलब्ध होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते समय संसाधनों का प्रबन्धन किया जाना चाहिए जिससे टिकाऊ विकास को सक्षम क्या जा सके / (Volume-2 - अध्याय-18) पर्यावरणीय विचार भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं और योजना प्रक्रिया में भी परिलक्षित होते हैं। हमारे संवैधानिक विद्यार्थी और नीतिगत ढांचे के में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिवद्वताओं के रूप में भी दिखाई देता है। सरकारी मान्यता के अनुसार इस प्रशंसनीय उद्देश्यों पर चिंताओं के बादल छाये हुए हैं तथा भारत सरकार को इस चुनौतियों का पता है। उच्च और निरंतर आर्थिक विकास को प्राप्त करने की मांग करते समय यह महसूस किया गया है कि अस्थिर सामाजिक और पर्यावरणीय नींव पर स्थिर आर्थिक विकास को नहीं बनाए रखा जा सकता है। राष्ट्रीय दृष्टि मानव कल्याण को प्राथमिकता प्रदान करती है जिसमें न केवल खाद्य खपत तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं का पर्याप्त स्तर भी शामिल है बल्कि मूल सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, और मूल स्वच्छता तक पहुंच भी शामिल है। यह निर्णय लेने में सभी व्यक्तियों और समूहों तथा व्यापक भागीदारी के लिए आर्थिक और सामाजिक अवसरों के विस्तार के लिए प्राथमिकता प्रदान करता है तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और प्रबन्धन, टिकाऊ विकास के लिए एक महत्वपूर्ण केन्द्र है।

सतत विकास के लिए चुनौतियां :-

सतत विकास और इसके परिणामों की चुनौतियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं यह दृश्य है मगर हम देखना नहीं चाहते हैं।

जनसंख्या :-

टिकाऊ विकास के लिए जनसंख्या एक बहुत बड़ी चुनौती है 21वीं शताब्दी की शुरुआत में पृथ्वी की आबादी 6 बिलियन तक थी जो अगले 50 वर्षों में 10 से 11 बिलियन होने का अनुमान है। इससे बुनियादी सुविधाओं पानी, खाद्य उत्पादन के लिए कृषि भूमि की कमी होगी।

गरीबी:-

जब जनसंख्या अधिक होगी तो गरीबी भी होगी इसलिए टिकाऊ विकास के लिए गरीबी भी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि विश्व की लगभग 25% आबादी प्रतिदिन 1 अमरीकी डॉलर से कम खर्च करती है।

असमानता:—

सतत विकास के लिए असमानता भी एक गंभीर चुनौती है। इनमें सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता, राजनीतिक असमानता प्रमुख है। विश्व के कई देशों में कृषि क्षेत्र सीमित है और नए लोगों के लिए खाध उत्पादन में वृद्धि करने के लिये परिस्थितिक तंत्र पर विनाशकारी प्रभाव को प्रकृति की कीमत पर नग्न नहीं किया जाना चाहिए।

पीने के पानी की कमी:—

देश के कई हिस्सों में पीने के पानी की कमी सतत विकास के लिए एक मुख्य बाधा है। यदि वर्तमानदर पर विकास जारी रहा तो 2025 तक प्रत्येक सेकेण्ड प्रत्येक व्यक्ति पानी की कमी के संघर्ष करेगा।

- ❖ मानव स्वास्थ्य भी टिकाऊ विकास के लिए एक प्रमुख चुनौती है कई मामलों में विकासशील देशों में मौते ज्यादा होती है आने वाला समय में मानवता को बीमारियों के खिलाफ सुधार बनाने के लिए अधिक ध्यान व धन का प्रबन्ध करना चाहिए। मुख्य कार्य पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को कम करना है। 2020 तक (NFHS-5) के अनुसार 5 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु दर 32 / 1000 (2019) के अनुसार है।
- ❖ टिकाऊ विकास के लिए ऊर्जा खपत लगातार बढ़ रही है। विश्वसनीय टिकाऊ विकास के लिए पर्यावरण के लिए अनुकूल ऊर्जा स्रोतों और सेवाओं के साथ-साथ ऊर्जा प्रभावशीलता के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों के निर्माण के लिए अगले 10–15 साल के लिए विशेष रूप से पहुंच में सुधार एक महत्वपूर्ण एक कार्य होगा।
- ❖ सतत विकास के लिए वनों की कटाई विशेष रूप से बड़ी चुनौती है विश्व स्तर पर जंगल मुख्य रूप से कृषि के विस्तार के कारण कम हो रहे हैं। आने वाले वर्षों में जंगलों के प्रबन्धन में सुधार करना एक महत्वपूर्ण कार्य होगा।
- ❖ पेट्रोल, डीजल की खपत लगातार बढ़ रही है शिखर सम्मेलन में विकसित देशों में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन मानदंडों पर एक समझौते तक पहुंचने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल के फैसले को समझने की आवश्यकता पर बल दिया।

सतत विकास के लिए रणनीतियां :—

टिकाऊ विकास का अर्थ एक बाधा तथा अवसाद प्रक्रिया बनाना नहीं है अपितु यह अवधारणा इस बात से सम्बन्धित है कि हम अपने संसाधनों का उपयोग कैसे करें जिससे कि वर्तमान व भविष्य की पीढ़ी के बीच एक अन्तर्निहित रिश्ते की स्थापना की जा सके तथा टिकाऊ विकास के लिए कई संभावित रणनीतियों उपयोगी हो सकती हैं।

तकनीकः—

उपयुक्त तकनीक का उपयोग करने वाली तकनीक एक स्थानीय रूप से अनुकूलनीय, पर्यावरण अनुकूल, संसाधन कुशल, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त है इसमें ज्यादातर स्थानीय संसाधन और स्थानीय श्रम शामिल है। स्वदेशी प्रौद्योगिकियां अधिक उपयोगी लगात प्रभावी और टिकाऊ है। उस क्षेत्र की प्राकृतिक परिस्थितियों का उपयोग करके प्रकृति को अक्सर एक मॉडल के रूप में लिया जाता है। इस अवधारणा को प्रकृति के साथ डिजाइन के रूप में जाना जाता है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संसाधनों का कम उपयोग करना चाहिए और न्यूनतम अपशिष्ट का उत्पादन करना चाहिए।

कम, पुनः उपयोग, रिसायकल दृष्टिकोण :-

❖ 3 R दृष्टिकोण संसाधन उपयोग के न्यूनतम की वकालत करते हुए, अपशिष्ट सामग्री को रिसाइकिल करने के बजाये उन्हें बार-बार उपयोग करने के लिए स्थिरता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक लम्बा रास्ता तय किया जाता है। यह हमारे संसाधनों पर दबाव कम कर देता है और अपशिष्ट तथा प्रदूषण को कम करता है।

पर्यावरणीय के लिए शिक्षा व जागरूकता का प्रसार करना :-

पर्यावरणीय शिक्षा को प्रत्येक स्तर पर लागू करना चाहिए इसमें लोगों को पृथ्वी व पर्यावरण के प्रति व्यवहार में एक बड़ा परिवर्तन आयेगा। स्कूल स्तर पर एक विषय के रूप में पर्यावरण को को शामिल करने से छोटे बच्चों को पृथ्वी के बारे में सोचने व पृथ्वी पर रहने तथा पर्यावरण को संरक्षण के प्रति जागरूक होगें तथा जीवन पद्धति में एक बड़ा बदलाव आयेगा जो सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

संसाधन उपयोग ले जाने की क्षमता तक :-

कोई भी प्रणाली दीर्घकालिक आधार पर सीमित संख्या में जीवों को बनाये रख सकती है जिसे इसकी ले जाने की क्षमता के रूप में जाना जाता है। मनुष्यों के मामले में ले जाने की क्षमता की अवधारणा अधिक जटिल हो जाती है ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्य जानवारों के विपरीत मनुष्यों को न केवल भोजन की आवश्यकता होती है बल्कि जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कई अन्य चीजों की आवश्यकता होती है। एक प्रणाली की सततता काफी हद तक उस प्रणाली की ले जाने की क्षमता पर निर्भर करती है। यदि किसी प्रणाली की वहन करने की क्षमता को पार किया जाता है (संसाधनों का अधिक शोषण) तो पर्यावरणीय गिरावट शुरू होती है और तब तक जारी है जब तक कि यह कोई वापस नहीं दे देता है ले जाने की क्षमता के दो बुनियादी घटक होते हैं।

1. सहायक क्षमता यानी पुनः उत्पन्न करने की क्षमता।
2. आत्मसात करने की क्षमता यानी विभिन्न तनावों को सहन करने की क्षमता।

स्थिरता प्राप्त करने के लिए प्रणाली के उपर्युक्त दो गुणों के आधार पर संसाधनों का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। खपत पुनर्जनन से अधिक नहीं होनी चाहिए और परिवर्तन को प्रणाली की सहिष्णुता क्षमता से परे होने के अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आयामों के आधार पर जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना :—

विकास पहले से ही समृद्ध लोगों के एक वर्ग पर ध्यान केन्द्रित नहीं करना चाहिए इसके बजाए इसमें अमीरों और गरीबों के बीच लाभों को साझा करना शामिल होना चाहिए। जनजातीय व जातीय लोगों और उनकी सांस्कृतिक विरासत भी संरक्षित की जानी चाहिए तथा उनको नीति बनाने व लागू करने में मजबूत समुदायिक भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए तथा जनसंख्या वृद्धि को स्थिर किया जाना चाहिए।

सरकार द्वारा उठाये गये कदम :—

भारत में जलवायु परिवर्तन चुनौती को पूरा करने के लिए अपनी रणनीति को रेखांकित करने के लिए 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन (**NAPCC**) पर अपनी राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की। राष्ट्रीय कार्य योजना एक ऐसी रणनीति की वकालत करती है जो जलवायु परिवर्तन के अनुकूल को बढ़ावा देती है और दूसरी बात भारत के विकास पथ की परिस्थितिकीय स्थायित्व में वृद्धि को आगे बढ़ाती है। भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना देश के एक विशाल जनसंख्या के जीवन स्तर को बढ़ाने और जलवायु मांग के प्रभावों को अपनी भेघता कम करने के लिए व उच्च वृद्धि को बनाए रखने के लिए जोर देती है। तदनुसार कार्य योजना उन उपायों की पहचान करती है जो जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने हेतु लाभ प्रदान करते हुए भारत के सतत विकास के उद्देश्यों को बढ़ावा देती है। आठ राष्ट्रीय मिशन हैं जो राष्ट्रीय कार्य योजना का मूल बनाते हैं जो बहुत प्रवृत्त दीर्घकालिक रणनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं कई कार्यक्रमों को जोड़कर इस मिशन का गठन किया गया है।

राष्ट्रीय सौर मिशन :—

सौर मिशन का एक जुड़वां उद्देश्य है भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के साथ-साथ इसकी परिस्थितिकीय सुरक्षा में योगदान देना। राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य अनवीक रणीय ऊर्जा स्त्रोत जैसे डीजल, पेट्रोल, कोयला आधारित विद्युत उपयोग कम करके ज्यादा से ज्यादा और ऊर्जा का उत्पादन व उपयोग बढ़ाना है। क्योंकि डीजल, पेट्रोल व कोयला एक निश्चित मात्रा में ही है तथा ये एक बार उपयोग होकर समाप्त हो जाता है परन्तु सौर ऊर्जा अपार है। सौर ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता भारत में मार्च 2024 तक 81.81 गीगावाट है। सौर ऊर्जा क्षमता में वृद्धि 15033.26 मेगावाट की हुई है। जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभावों से बचने के लिए उत्सर्जन को 2030 तक लगभग आधा कम करने तथा 2070 तक शुद्ध न्यून उत्सर्जन तक पहुंचने की आवश्यकता है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता तक पहुंचने का है।

राष्ट्रीय सोलर मिशन जनवरी 2010 में लॉच किया गया था जिसका उद्देश्य भारत को सौर ऊर्जा उत्पाद में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना था। देश भर में जितनी जल्दी हो सके सौर प्रौद्योगिकी का प्रसार की नीति बनाना था। इस मिशन का प्रारम्भिक लक्ष्य 2022 तक 20 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करना था बाद में 2015 में इसे 100 गीगावाट तक बढ़ाया गया। मिशन के अन्तर्गत कई सुविधा जनक कार्यक्रम और योजनाओं ने वर्ष 2010–11 में 25 मेगावाट से ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता को संचालित किया। भारतीय अक्षय ऊर्जा परिदृश्य में सौर ऊर्जा अब भी अग्रणी है यह लगभग 75.57 गीगावाट के स्तर तक पहुंच चुकी है। भारत ने मार्च 2024 तक 81.81 गीगावाट सौर ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता हासिल की है। सौर ऊर्जा क्षमता में 15033.26 मेगावाट की वृद्धि है।

राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन (**NMEE**) :-

राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता मिशन का उद्देश्य ऊर्जा बचत उपायों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी आधार उपलब्ध कराना है। इसको लेकर कई योजना व कार्यक्रम चल रहे हैं ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कुछ नई पहलों को लागू किया गया है। (**NMEE**) एनएमईई का उद्देश्य अनुकूल नियामक और नीति बनाकर ऊर्जा दक्षता के बाजार को मजबूत करना है और ऊर्जा दक्षता क्षेत्र में अभिनव व टिकाऊ व्यावसायिक मॉडल को बढ़ावा देने की कल्पना की है ये मिशन 2011 से लागू किया गया है। एनएमईई में ऊर्जा गहन उधोगों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए 4 पहलियां हैं।

1. एनएमईई के लिए प्रदर्शन प्राप्त करें व व्यापार (**PAT**)
2. ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार में बदलाव।
3. ऊर्जा दक्षता के लिए बिल पोषण मंच।
4. ऊर्जा दक्षता के लिए कुशल ऊर्जा ढांचा व आर्थिक विकास।

टिकाऊ आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन :-

इस मिशन की शुरुआत 2010 में हुई थी। मिशन के प्रमुख लक्ष्यों में निम्न शामिल है। टिकाऊ आवास मानकों का विकास को मजबूत विकास रणनीतियों का कारण बनता है साथ ही जलवायु परिवर्तन से संबंधित चिन्ताओं को भी संवोधित करता है।

- ❖ शहर के विकास की योजनाओं को बनान जो व्यापक रूप से पर्यावरण के अनुकूल हो व शमन चिन्ताओं को भी संवोधित करती है।
- ❖ व्यापक गतिशील योजनाओं की तैयारी जो शहरों को दीर्घकालिक, ऊर्जा कुशल और लागत प्रभावी परिवहन योजना बनाने में सक्षम बनाती है।
- ❖ मिशन के लिए प्रासंगिक गति विधियों के लिए क्षमता निर्माण।

हिमालयी पारिस्थितिक वेन की सततता के लिए राष्ट्रीय मिशन :-

इस मिशन का उद्देश्य हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए यह समझाना है कि हिमालयी हिमनदरों के पिघलने की समस्या को इंगित किया जायेगा तथा दूसरा प्रमुख उद्देश्य हिमालयी पर्यावरण के लिए हिमालय के संसाधनों व परिस्थितिक तंत्र का आकला करने व अवलोकन व निगरानी के लिए एक नेटवर्क स्थापित करना है।

टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन :-

इस मिशन का उद्देश्य भारतीय कृषि को फसलों की नई किस्मों, विशेष रूप से थर्मल प्रतिरोधी रोगों और वैकल्पिक फसल पैटर्न की पहचान करके जलवायु परिवर्तन के लिए अधिक लचीला बनाना है। यह पारंपरिक ज्ञान और व्यवहारिक प्रणालियों, सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी के साथ-साथ नए क्रेडिट और बीमा प्रणालियों का एकीकरण किया जाना है।

राष्ट्रीय जल मिशन :-

जल मिशन का मुख्य उद्देश्य पानी का संरक्षण, अपशिष्ट को कम करना और एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से राज्यों के भीतर और इसके अधिक न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करना है। सरकार द्वारा जल जीवन मिशन भी चलाया जा रहा है इसके अन्तर्गत प्रधानमंत्री हर घर नल योजना के द्वारा प्रत्येक घर को साफ पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए योजना चल रही है।

हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन :-

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने पर्यावरण व वन मंत्रालय के हरित भारत मिशन के प्रस्ताव को मंजूरी दी ये एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य भारत के घटने वन क्षेत्र को बढ़ावा वहाल करना व बढ़ावा तथा अनुकूलन व शमन उपायों के साथ जलवायु परिवर्तन से बचाना है।

इसके अन्तर्गत प्रबंधित जंगलों में कार्बन सिंक को बढ़ाने और कमज़ोर परिस्थितिक तंत्रों और वन निभग्र स्थानीय समुदायों के अनुकूलन द्वारा जलवायु परिवर्तन को संबोधित करता है। यह वनीकरण के लिए प्रधानमंत्री के ग्रीन इंडिया अभियान का निर्माण करता है व वन कवर के तहत भूमि क्षेत्र में वृद्धि का राष्ट्रीय लक्ष्य है।

जलवायु परिवर्तन के लिए राजनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन :-

इस मिशन के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के तंत्र के माध्यम से अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास और सहयोग में वैश्विक समुदाय के साथ काम करने का प्रयास करता है और इसके अलावा, समप्रित जलवायु परिवर्तन से संबंधित संस्थानों और विश्वविद्यालयों और जलवायु अनुसंधान निधि के नेटवर्क द्वारा समर्थित स्वयं का एक शोध का एजेंडा भी होगा। मिशन कनुकूलन और शमन के लिए अभिनव प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए निजी क्षेत्र की पहल को भी प्रोत्साहित करेगा हालांकि ये राष्ट्रीय मिशन अपने संबंधित क्षेत्रों अम्बैला संगठनों के रूप में कार्य रकेंगे, कुछ मौजूदा योजनाएँ और सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यक्रम टिकाऊ

विकास की दिशा में महत्वपूर्ण है। क्षमता आधारित क्षेत्रीय विकास योजना, स्वच्छ प्रौद्योगिकी के विकास और संवर्धन के लिए सहायता योजना स्वच्छ प्रौद्योगिकी के प्रचार स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए सहायता योजना में अनुदान योजना और वास्तु कला स्कूल द्वारा ग्रीन आर्किटेक्चर, खनन के लिए टिकाऊ विकास ढांचा, सतत विकास के मुख्य अभिसरण हैं।

निष्कर्ष

सतत विकास एक दृष्टि और सोच और कार्य करने का एक तरीका है ताकि हम भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधनों और पर्यावरण को संरक्षित कर सकें। इसे केवल नीतियों के बारे में ही नहीं लाया जायेगा बल्कि इसे समाज द्वारा बड़े पैमाने पर लिया जाना चाहिए तथा प्रत्येक नागरिक को बड़े-बड़े राजनीतिक और आर्थिक निर्णयों में भागीदार बनाकर उनका मार्गदर्शन करने बाले सिद्धान्त है। यह स्पष्ट है कि पर्यावरणीय गिरावट ने उन पीढ़ियों का सबसे बड़ी लागत लागू करने के लिए प्रेरित किया है जो अभी तक पैदा हुए हैं। भविष्य की पीढ़ियों के संबंध में वर्तमान पीढ़ियों के साथ योचित है क्योंकि वे जीवन भी एक खराब गुणवत्ता का उत्तराधिकारी होगा।

हम केवल टिकाऊ विकास में सुधार कर सकते हैं जब यह नागरिकों और हित धारकों को शामिल करने पर जोर देगा। यदि हर कोई ऐसी दुनियां में योगदान देता है जहां आर्थिक स्वतंत्रता सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण को हाथ में लेते हैं। जिससे हमारी खुद भी और भविष्य की पीढ़ियों को भी अब से बेहतर पर्यावरण दे सकते हैं। सतत विकास आसान नहीं होगा फिर भी यह अपरिहार्य जिम्मेदारी है जो बेहतर योजना मजबूत नीतियों और प्रभावी निष्पादन के साथ प्राप्त करने योग्य है।

सरकारों अब संकीर्ण, अल्पकालिक परिप्रेक्ष्य से इस मुद्दे की अनदेखी नहीं कर सकती है क्योंकि ग्रह की अस्थिरता से बचने के लिए सतत विकास के एजेंडे में करना होगा बल्कि इनको पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपनाना भी होगा।

संदर्भ सूची

Dr. Parmar Y.S. Kurukshetra Patrika

pib.gov.in

<http://www.fsdinternational.org/country/india/envissues>

http://www.academia.edu/1082298/Strategies_for_Sustainable_Development_in_India_With_Special_Reference_to_Future_Generation_

<http://www.moef.nic.in/divisions/ic/wssd/doc2/ch1.html>

<http://www.yourarticlerepository.com/environment/5-important-measures-for-sustainable-development/9912/>

http://www.huffingtonpost.com/entry/sustainable-development_india_b_5602482.html?section=india

https://india.gov.in/people-groups/community/environmentalists/_combating-climate-change-and-working-towards-sustainable-development

<http://focusglobalreporter.com/article7.asp>

[vinati-India and sustainable development \(2016\) international journal of computing and corporate research.](http://vinati-india-and-sustainable-development-(2016)-international-journal-of-computing-and-corporate-research.html)